न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 161 दायर दिनांक : 10.09.2018

1. राजादेवी पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जयपाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर —प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषकगण वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 15.01.2020

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वादीगण के अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वर्गीय पति/पिता ताराचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट की चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 के पत्थर नं. 87/383 (18) के किला नं. 18 से 25 = 2.024 है0, व पत्थर नं. 86/384 (20) के किला नं. 11—12 = 0.506 है0, कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह भूमि उनके पिता ख्यालीराम के नाम की भूमि है जो ख्यालीराम के स्वर्गवास उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन दर्ज हुई है। वादीगण के पति/पिता के जीवनकाल में यह

क्रमशः ..... पेज 2 पर

भूमि उनके कब्जा काश्त में रही व उनका दिनांक 08.12.2017 को स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त बतौर वारिस वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण ही ताराचन्द के जायज वारिसान हैं। उक्त जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता का नाम तारूराम वल्द ख्यालीराम अंकित है, जबकि वास्तव में उनका नाम ताराचन्द वल्द ख्यालीराम है। उनके समस्त दस्तावेजी रिकॉर्ड यथा मत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशनकार्ड में ताराचन्द ही अंकित है। उक्त भूमि एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा सूरतगढ़ को रहन रखी हुई है, वादीगण ने अपने रिश्तेदारों से रूपये उधार लेकर बैंक का ऋण अदा कर दिया ताकि भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त उसका विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाया जा सके। वादीगण ने उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो वादीगण के पति/पिता का नाम ताराचन्द की बजाय तारूराम अंकित होने के कारण विरासतन इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका, जिसकी दुरूस्ती हेतु वादीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण की पुत्री/बहन मन्जूदेवी ने जैरवाद भूमि में से अपने हिस्सा का परित्याग जरिये दस्तबरदारी दिनांक 14.02.2018 को वादीगण के पक्ष में कर दिया। राज्य सरकार के विरुद्ध दावा लाने से पहले कानूनन 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 06.04.2018 को राज्य प्रतिनिधि श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें समय अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 चक 11 एस.पी.डी.'बी' खाता सं. 15/15, ताराचन्द के मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशनकार्ड, वादीगण स्वयं के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, 80 सी.पी.सी. के नोटिस, दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.02.2018 मन्जू बहक राजादेवी

क्रमशः ..... पेज 3 पर

वगैरह की प्रतियां प्रस्तुत कर चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 के पत्थर नं. 87/383 (18) के किला नं. 18 से 25 = 2.024 है0, व पत्थर नं. 86/384 (20) के किला नं. 11–12 = 0.506 है0, कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का तारूराम वल्द ख्यालीराम के स्थान पर ताराचन्द वल्द ख्यालीराम को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने व वादीगण को उक्त भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राज्य पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत ना करने पर दिनांक 22.11.2018 को जवाब स्टेट बन्द कर साक्ष्य वादी प्राप्त किये गये। वादी ने साक्ष्य में शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। अभिभाषक वादीगण ने दौराने वाद सरपंच, ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था द्वारा जारीशुदा प्रमाण–पत्र व ताराचन्द का मूल निवास प्रस्तुत किया जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषकगण वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पति/पिता ताराचन्द पुत्र ख्यालीराम की चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 में अंकित कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में उनका नाम तारूराम अंकित है, जबकि सही नाम ताराचन्द है। यह भूमि उन्हें अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। वर्तमान में वादीगण के पति/पिता का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त वादीगण राजादेवी पत्नी, जयपाल पुत्र एवं एक पुत्री मन्जु उनके जायज वारिसान हैं। पुत्री मंजु ने अपने हिस्से का परित्याग जरिये पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी वादीगण के पक्ष कर दिया। वर्तमान में जैरवाद भूमि बतौर वारिस वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है, लेकिन नाम में अन्तर होने के कारण इसका विरासतन इन्तकाल व दस्तबरदारी का इन्तकाल दर्ज नहीं हो पा रहा है। वाद के साथ प्रस्तुत साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता

क्रमशः ..... पेज 4 पर

72 चक 11 एस.पी.डी.'बी' खाता सं. 15/15, ताराचन्द के मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशनकार्ड, वादीगण स्वयं के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.02.2018 मन्जू बहक राजादेवी वगैरह, मूल निवास प्रमाण–पत्र का अवलोकन करवाया जिसमें वादीगण के पति/पिता का नाम ताराचन्द अंकित है व सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था द्वारा जारीशुदा प्रमाण–पत्र, जिसमें ताराचन्द पुत्र ख्यालीराम व तारूराम पुत्र ख्यालीराम, एक ही व्यक्ति के दो नाम होना प्रमाणित किया गया है, की ओर ध्यान दिलाया। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से वाद पूर्ण रूप से प्रमाणित व सिद्ध होना बताते हुए, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 में अंकित कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का तारूराम वल्द ख्यालीराम के स्थान पर ताराचन्द वल्द ख्यालीराम को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने व दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर वादीगण को उक्त भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की गयी।

तर्कों पर मनन किया। तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय साक्ष्य गहनता से अवलोकन व पठन करने पर पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था के प्रमाण–पत्र, वादीगण स्वयं के शपथ–पत्र, ताराचन्द के मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशनकार्ड, वादीगण स्वयं के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र से वादीगण अपने पति/पिता को ताराचन्द वल्द ख्यालीराम जाति जाट सिद्ध करने व जैरवाद भूमि का अपने आपको बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर चक 11 एस.पी.डी. 'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 के पत्थर नं. 87/383 (18) के किला नं. 18 से 25 = 2.024 है0, व पत्थर नं. 86/384 (20) के किला नं. 11–12 = 0.506 है0, कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का अंकित काश्तकार 'तारूराम वल्द ख्यालीराम' के स्थान पर 'ताराचन्द वल्द ख्यालीराम' को खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुताबिक पंजीबद्ध दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.02.2018 मन्जू बहक राजादेवी वगैरह वादीगण राजादेवी पत्नी ताराचन्द, जयपाल पुत्र ताराचन्द अकवाम जाट निवासीयान चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ को उक्त भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 के कॉलम संख्या 4 में अंकित काश्तकार का नाम 'तारूराम' कलमजन कर 'ताराचन्द' अंकित किये जाने, तत्पश्चात् उक्त भूमि वादीगण राजादेवी पत्नी ताराचन्द, जयपाल पुत्र ताराचन्द अकवाम जाट निवासीयान चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तूर रहेंगे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो समस्त दायित्व 'तारूराम वल्द ख्यालीराम कौम जाट सा. 11 एस.पी.डी.' द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व 'राजादेवी पत्नी ताराचन्द, जयपाल पुत्र ताराचन्द अकवाम जाट निवासीयान चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़' द्वारा देय होंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. राजादेवी पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जयपाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 161 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीगण श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 के पत्थर नं. 87/383 (18) के किला नं. 18 से 25 = 2.024 है0, व पत्थर नं. 86/384 (20) के किला नं. 11–12 = 0.506 है0, कुल 2.530 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का अंकित काश्तकार 'तारूराम वल्द ख्यालीराम' के स्थान पर 'ताराचन्द वल्द ख्यालीराम' को खातेदार घोषित किया जाता है एवं मुताबिक पंजीबद्ध दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 14.02.2018 मन्जू बहक राजादेवी वगैरह वादीगण राजादेवी पत्नी ताराचन्द, जयपाल पुत्र ताराचन्द अकवाम जाट निवासीयान चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ को उक्त भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 15/15 के कॉलम संख्या 4 में अंकित काश्तकार का नाम 'तारूराम' कलमजन कर 'ताराचन्द' अंकित किये जाने, तत्पश्चात् उक्त भूमि वादीगण राजादेवी पत्नी ताराचन्द, जयपाल पुत्र ताराचन्द अकवाम जाट निवासीयान चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तूर रहेंगे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो समस्त दायित्व 'तारूराम वल्द ख्यालीराम कौम जाट सा. 11 एस.पी.डी.' द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व 'राजादेवी पत्नी ताराचन्द, जयपाल पुत्र ताराचन्द अकवाम जाट निवासीयान चक 11 एस.पी.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़' द्वारा देय होंगे।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.01.2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 18:06:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: